अध्याय

8

अध्याय 8

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी

8.1 प्रस्तावना

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबीज) राज्य में पर्यावरणीय विधान जैसे जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (उपकार) अधिनियम, 1977 और कुछ प्रावधानों के तहत पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों जैसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 1998, खतरनाक अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 2000, नगर ठोस अपशिष्ट नियम 2000 आदि के अन्तर्गत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

यथा संशोधित जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन और यथा संशोधित वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन पीपीज से एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी से परियोजना को स्थापित करने की सहमति (सीटीई) तथा प्रचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। एसपीसीबीज उघोगों, नगर पालिकाओं, औघोगिक प्रक्रियाओं आदि की सहमति प्रबन्धन तन्त्र के माध्यम से विनियमित करते हैं। सहमति देते समय एसपीसीबीज ईसीज में जल तथा वायु प्रदुषण की कमी हेतु शर्तों को भी समाकलित करते हैं। एसपीसीबी इन औघोगिक/ परियोजना यूनिटों/ स्वत्वों द्वारा अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी करते हैं। अधिनियमों के अन्तर्गत एसपीसीबीज के सूचना प्राप्त करने, नमूना लेने, प्रवेश करने तथा निगरानी, न्यायालयों के माध्यम से प्रदूषणकर्तों को नियंत्रित करने/ दण्ड देने की शक्ति, बन्दी/ समाप्ति/ बिजली काटने के लिए निर्देश देने की शक्ति है।

8.2 ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत एसीपीसीबी/ यूटीपीसीसी का अस्पष्ट उत्तरदायित्व

हमने देखा कि ईसी निगरानी के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी) को ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व नहीं सौंपे गए थे।

ईआईए रिपोर्ट की संवीक्षा के बाद ईएसी की सिफारिशों पर एमओईएफएण्डसीसी द्वारा ईसी दिया जाता है जो लोक परामर्श और विभिन्न कमी करने के उपाय भी तथा पीपी

द्वारा की गई वचनबद्धताएं शामिल करता है। एमओईएफएण्डसीसी पीपीज को ईसी देते समय एसपीसीबीज को प्रति मार्क कर देता है तथापि एसपीसीबीज की सही भूमिका ईसी पत्र में विशिष्ट नहीं की गई थी।

एमओईएफएण्डसीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 23 के तहत भी अधिसूचनाएं जारी कर राज्य सरकारों और/ अथवा एसपीसीबीज को अपनी शक्तियां प्रत्यायोचित कर शक्ति सम्पन्न करने की भी शक्ति थी। एमओईएफएण्डसीसी ने ईसी शर्त की निगरानी के लिए उत्तरदायित्वों तथा शक्तियों से एसपीसीबी/ पीसीसीज को प्रत्यायुक्त नहीं किया था और इसलिए ईआईए/ ईसी में पीपीज द्वारा प्रस्तावित विभिन्न अल्पीकरण उपायों के अनुपालन की एसपीसीबीज द्वारा जांच नहीं की गई थी। लोक सभा को एमओईएफएण्डसीसी ने अतारांकित प्रश्न सं. 1555 (08 दिसम्बर 2015) अपने उत्तर में बताया कि पर्यावरणीय सुरक्षा शर्तों के अनुपालन की नियमित रूप से आरओज तथा एसपीसीबीज के माध्यम से निगरानी नहीं की गई थी।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्तूबर 2016) कि जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत उनके नियामक कर्तव्यों, निगरानी, प्रवर्तन तथा अनुपालन के संबंध में एसपीसीबी/ पीसीसीज की बहुत ही स्पष्ट परिभाषित भूमिकाएं थीं। एसपीसीबी/ पीसीसीज वन से सम्बधित शर्तों, वृक्षारोपण, ईएसआर के तहत गतिविधियों, स्वास्थ्य आदि की निगरानी की स्थिति में नही है। इस कारण से कि ये शर्तें जल अधिनियम और वायु अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजनों में परिकल्पित अधिदेश के अन्तर्गत नहीं आती।

तथापि हमने देखा कि अधिकांश एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज ने व्यक्त किया कि ईसी शर्तों का अनुपालन एमओईएफएण्डसीसी के सम्बन्धित आरओज द्वारा किया जाना था। आरओज द्वारा निगरानी में कमी से सम्बन्धित अवलोकन पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 7 में चर्चा की गई है।

एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज की भूमिका से सम्बन्धित हमारा अवलोकन निम्नवत हैः

8.3 ईसी शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने में कमी

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी ईसीज में शर्तों में से एक यह थी कि ईसी शर्तें अन्य बातों के साथ जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तित की जानी थीं। इन अधिनियमों के प्रवर्तन की शक्ति राज्य सरकार के पास थी।

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी ईसी पत्र आरओज, एमओईएफएण्डसीसी/ सीपीसीबी/एसपीसीबीज को भी भेजे जाते हैं। पीपीज से छ माही अनुपालन रिपोर्टें और सांख्यिकीय व्याख्या के साथ भावीटरित डाटा नियमित रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त पीपी से ईसी शर्तें के अनुपालन की स्थिति से संबंधित आवधिक रिपोर्टें, फार्म v में वार्षिक पर्यावरणीय विवरण, मिटटी जांच तथा भूजल नमूने, परिवेशी वायु गुणवत्ता, पलायक अथवा चिमनी उत्सर्जन, शोर स्तरों, उत्सर्जन प्रतिमानों के अनुपालन आदि पर रिपोर्टें आरओज, एमओईएफएण्डसीसी/ सीपीसीबी/ एसपीसीबीज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी।

इन ईसी शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए एसपीसीबीज में उचित प्रणाली के संबंध में हमारा निष्कर्ष सांक्षिप्त रूप में निम्नवत हैः

क. 26[30] एसपीसीबी/यूटीपीसीसी ने बताया कि उन्होने शर्तों तथा उन शर्तों के अनुपालन की निगरानी के साथ स्थापना की सहमति (सीटीई) तथा प्रचालन की सहमति (सीटीओ) जारी की थी। एसपीसीबी/यूटीजीसीसी ने बताया कि उनके द्वारा ईसी शर्तों की निगरानी नहीं की गई थी।

ख. अण्डमान एंव निकोबार द्वीप समूह पीसीसी ने बताया कि ईसी के अन्तर्गत अनुबद्ध शर्तों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई प्रव्यायोजन नहीं किया गया था। मणिपुर एसपीसीबी ने अपने उत्तर में बताया कि वे ईसी शर्तों, जो केवल मणिपुर एसपीसीबी के सुसंगत है, के अनुपालन के सत्यापन का उत्तरदायित्व निभा रहे थे।

ग. त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि सीपीसीबी के आंचलिक कार्यालय से अधिकारियों तथा बोर्ड अधिकारियों के साथ एमओईएफएण्डसीसी ने संयुक्त रूप से ईसी शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए स्थानों का दौरा किया था।

घ. मिजोरम बोर्ड ने बताया कि वह कुछ ईसी शर्तों, जो उसकी क्षमता के अन्दर हैं, की अनुपालन की जांच करता है। तथापि बोर्ड अनुपालन की जांच करने के अपने उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ था क्योंकि उनके द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया गया था।

ङ. दमन एवं दीव और दादरा तथा नागर हवेली, पुडुचेरी के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

---

[30] असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ, छत्तीसगढ, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंव कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल

इस प्रकार ईसी शर्तों का अनुपालन की निगरानी के लिए एक समान प्रणाली नहीं थी। एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2016) कि सहमति देते समय लगाई शर्तों की निगरानी सहित प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत सीपीसीबी/ पीसीसीज पर्याप्त रूप से शक्ति सम्पन्न किए गए हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ ईसी की मंजूरी के दौरान लगाई शर्तों का समाकलन शामिल है। उसके अलावा एमओईएफएण्डसीसी ने प्रस्ताव किया कि नवम्बर 2016 में आयोजित की जाने को प्रस्तावित आगामी वार्षिक सम्मेलन के दौरान सीपीसीबी/ एसपीसीबी के सभी अध्यक्ष और सदस्य सचिवों को विशेष रूप से प्रदूषण तथा भिन्न प्रकार के अपशिष्ट से सम्बन्धित ईसी तथा सहमति शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जायगा।

इसके अलावा एसपीसीबीज के उत्तर कि शर्तों, जो सीटीई/ सीटीओ से जुड़ी थीं के अनुपालन की निगरानी की गई थी, के बावजूद हमने दृष्टान्त देखे जहाँ परियोजनाएं सीटीई/ सीटीओ बिना परिचालन कर रही थी जिन पर अगले पैरा में चर्चा की गई है।

8.4 स्थापना की सहमति तथा प्रचालन की सहमति बिना परिचालनरत परियोजनाएं

जल, नदी, कुओं नालों में अथवा भूमि पर कोई घरेलू मल अथवा व्यवसाय बहिःस्राव विसर्जित करने वाले सभी उघोग/ स्थानीय निकाय, जो जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत आते हैं, ये किसी नई यूनिट की स्थापना के लिए अथवा किसी विधमान यूनिट का विस्तार/ आधुनिकीकरण करने से पूर्व सीटीई प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

स्थापना के बाद इन यूनिटों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व सीटीओ प्राप्त करना आवश्यक है। सभी विधमान यूनिटों, जो जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हैं, को भी सीटीओ आवश्यक है।

इस प्रकार सीटीई केवल नई यूनिट की स्थापना के समय पर या किसी विद्यमान यूनिट का विस्तार/ आधुनिकीकरण करने से पूर्व प्राप्त की जाती है। अथवा वर्तमान विशेष अवधि के लिए दिया जाता है और समाप्ति के बाद प्रत्येक समय नवीकृत कराए जाने की आवश्यकता है। सहमति आवेदन की तारीख से चार माह के अन्दर दी जानी थी जिसकी विफलता में इसे मानी गई सहमति के रूप में माना जाएगा जब तक पूर्व में सहमति दी गई हो अथवा में अस्वीकृत किया गया हो।

हमने सीटीई/ सीटीओ तथा के नवीकरण बिना प्रचालनरत परियोजनाओ से संबंधित अनेक मामले देखे जिन पर अनुवर्ती पेराग्राफो में चर्चा की गई है।

(i) **सीटीई बिना चल रही परियोजनाए**: हमने देखा कि 352 परियोजनाओं में से 117 परियोजनाओं में ऐसी अलग शर्त इसी पत्र में विस्तरित नही की गई थी। शेष बची हुई 235 परियोजनाओं में से 162 ने सीटीई प्राप्त की थी और 10 परियोजनाओं में इस शर्त का गैर अनुपालन पाया गया था। 63 परियोजनाओं में सूचना या तो मौजूद नही थी या लागू नही थी।

10 परियोजनाऐ जहाँ सीटीई प्राप्त नहीं की गई थी के ब्यौरे तालिका 8.1 में दिए गए है

तालिका 8.1 स्थापित करने की सहमती बिना चल रही परियोजनाए

सं.	राज्य/यूटी	परियोजना
1.	आंध्र प्रदेश	सरीपल्ली बालू की खान, मैं. राष्ट्रीय इस्पात निगम
2.	चण्डीगढ	धनास गाँव में पुनवार्स योजना तथा सामान्य आवास योजना, मैं. चण्डीगढ हाउसिंग बोर्ड
3.	जम्मू एवं कश्मीर	मैं. जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट लिमिटेड का खूरू लाइमस्टोन
4.	मध्य प्रदेश	एनएचएआई, छिंदवाडा द्वारा बाईपास सहित अमरवाडा उमरानाला के पेवड शोल्डर्स कान्फीगुरेशन के साथ 2 लेनों का सुधार एवं उन्नयन
5.		एनएचएआई, छिंदवाडा द्वारा छिंदवाडा/चौराई/सेवनी खण्ड का उन्नयन
6.		मै. डब्ल्यूसीएल छिंदवाडा द्वारा अम्बारा खुली खदान बैचो कोयला खदान परियोजना।
7.		मैं. मैहर सीमेंट, सतना द्वारा भाडनपुर चूना पत्थर खदान परियोजना।
8.	पंजाब	मेट्रोपोलिटन माल (वाणिज्यक परिसर परियोजना), मैं. एमजीएफ डवलपमेंटस लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर में नगर ठोस अपशिष्ट लैण्डफिल
10.	उत्तराखण्ड	कोसी नदी, रामनगर से छोटे खनिजों का संग्रहण

(ii) **सीटोओ बिना चल रही परियोजनाएः** हमारी संवीक्षा में पता चला कि 352 में से 118 परियोजनाओं में ऐसी अलग शर्त ईसी पत्र में निर्दिष्ट नहीं की गई थी। शेष 234 परियोजनाओं में से 175 में सीटीओ नही लिया गया था और 55 परियोजनाओं में सूचना या तो उपलब्ध नही थी या लागू नही थी।

शेष चार परियोजनाओं में सीटीओ प्राप्त किया नहीं गया था जिसके ब्यौरे तालिका 8.2 में दिए गए हैं।

तालिका 8.2 प्रचालन की सहमति बिना चल रहीं परियोजनाए

सं.	राज्य/यूटी	परियोजना
1	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा धनास गावं में पुनर्वास योजना तथा सामान्य आवास योजना
2	जम्मू एंव कश्मीर	मै. जम्मू एंव कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड का खूरू चूना पत्थर
3	झारखण्ड	खुली खदान कोयला खान परियोजना सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड
4	तमिलनाडु	मै. अक्षय जेएमबी प्रोपरटीज, समूह अवासिय परिसर 'मेट्रोपोलिस' का निर्माण

(iii) **सीटीओ की मंजूरी के नवीकरण में विलम्बः** हमने देखा कि एसपीसीबी द्वारा चालू सीटीओ के समाप्ति से पूर्व नवीकरण की प्रक्रिया आरम्भ तथा पूर्ण करने **के लिए उचित प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। हमारी संवीक्षा में पता चला** कि 352 में से 34 परियोजनाओं में 11 दिनों से साढे छः वर्षों[31] तक के बीच विलम्ब हुए थे जिसके दौरान प्रस्तावक एससीसीबी से उचित सीटीओ के बिना अपने संयंत्रों को चला रहे थे।

(iv) **सीटीओ का नवीकरण प्राप्त न करनाः** हमारी संवीक्षा में पता चला कि 352 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाओं, जिसको आरम्भ में सीटीओ मंजूर किए गए थे, लेकिन पीपीज ने सीटीओ के नवीनीकरण का कोई अभिलेख नही दिखाया।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्तूबर 2016) कि उन्होने एसपीसीबीज/पीसीसीज द्वारा आनलाइन सहमति प्रबन्धन के लिए जेनरिक साफ्टवेयर प्राप्त किया था जिसे 18 एसपीसीबीज द्वारा अपनाया गया है और अन्य शेष बोर्डों को साफ्टवेयर अपनाने के लिए सहमत किया जा रहा है। आनलाइन कन्सेन्ट मैनेजमेंट का कार्यान्वयन नियामक (एसपीसीबी/पीसीसी) तथा नियंत्रित (उघोग) के बीच अन्तरापृष्ट को कम करेगा और दक्षता, पारदार्शेता तथा कारोबार करने में सरलता लाएगा और सीटीई तथा सीटीओ मंजूर करने और सीटीओ कि मंजूरी के नवीकरण में विलम्बों का परिहार करेगा।

8.5 एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज को अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत न करना

पीपीज को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 1 जून और 1 दिसम्बर को अपने सम्बन्धित एसपीसीबी/ यूटीपीसीसीज को अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करनी थीं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतू कुल 352 परियोजनाओं का चयन किया गया था जिनको 2008 तथा 2012 के बीच ईसीज दिए गए थे। 259 मामलों जिनके लिए एसपीसीबीज/ पीपीज

[31] मोहनपुर ओपन कास्ट कोल माइन, मै. ईसीएल, पश्चिम बंगाल के संबंध में सीटीओ जुलाई 2007 में समाप्त हो गया है। पीपी ने अक्तूबर 2012 में नवीकरण हेतू आवेदन किया। जिसका अप्रैल 2014 में नवीकृत किया गया था।

द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी, में लेखापरीक्षा ने देखा कि 53 मामलों में अनुपालन रिपोर्टें एक बार भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। तीन मामलों में यह एक बार प्रस्तुत की गई थी, 113 मामलों में रिपोर्टें अनिरंतर रूप में प्रस्तुत की गई थीं और केवल 90 मामलों में रिपोर्टें नियमित रूप से प्रस्तुत की गई थीं। ब्यौरे अनुबन्ध VII में दिए गए हैं।

इस प्रकार अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत न करने के कारण एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज ईसीज में दी गई शर्तों के अनुपालन से अनभिज्ञ रहे।

8.6 एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज में अपर्याप्त अवसंरचना तथा जनशक्ति

एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज को पर्याप्त अवंसंरचना, विशेषता, औधोगिक प्रबन्धों की स्थिरता की आवश्यकता है। ताकि वे अपने कर्तव्य संतोषजनक रुप में निभा सकें। अवसंरचना सुसज्जित प्रयोगशालाएं शामिल करती है और विशेषज्ञता तकनीकी जनशक्ति की पर्याप्त संख्या शामिल करती है।

हमारी आपतियां संक्षिप्त रुप में नीचे दी गई हैः

क. 24 एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसी (अण्डमान एंव निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल) में अवसंरचना ओर विशेषज्ञता नहीं है और प्रयोगशालाओं तथा जनशक्ति की कमी है। 24 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी में से केवल 11 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी में जन शक्ति की वास्तविक कमी को दर्शाया गया था जिसका ब्यौरा तालिका 8.3 में दिया गया है।

तालिका 8.3 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी में कार्मिक शक्ति की कमी

क्र.सं.	एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी	संस्वीकृत कारमिक शक्ति	कार्मिक स्थिती	कमी प्रतिशत में
1.	बिहार•	193	63	67
2.	दिल्ली*	131	34	74
3.	हिमाचल प्रदेश *	83	39	53
4.	झारखण्ड़•	271	73	73
5.	कर्नाटक •	409	232	43
6.	मध्य प्रदेश*	358	209	42
7.	पुडुचेरी*	8	2	75
8.	पंजाब•	665	427	36

क्र.सं.	एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी	संस्वीकृत कारमिक शक्ति	कार्मिक स्थिती	कमी प्रतिशत में
9.	राजस्थान•	387	261	33
10.	उत्तराखण्ड*	69	22	68
11.	पश्चिम बंगाल*	197	107	46

• कुल कार्मिक शक्ति, * वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक शक्ति

ख. तीन एसपीसीबीज (असम, गोवा, मणिपुर) ने बताया कि उनके पास पर्याप्त अवसंरचना और विशेषज्ञता थी।

ग. पाँच एसपीसीबीज (आंध्रप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तेलंगाना तथा ओडिशा) नें लेखापरीक्षा को विशिष्ट उत्तर नही भेजा।

उस रुप में सुसज्जित प्रयोगशाला तथा तकनीकी जनशक्ति सहित सीमित अवसरंचना तथा विशेषज्ञता के साथ अधिकांश एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज परियोजनाओ की जिनके लिए ईसी दिए गए थे, उचित प्रकार निगरानी करने की भी स्थिती में नही थे।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2016) कि यह सही था कि अनेक एसपीसीबीज/पीसीसीज पर्याप्त रूप से अवसंरचना, प्रशिक्षित स्टॉफ और विशेषकर विधिक प्रवर्तकों से सुसज्जित नहीं है। प्रदूषण के उपशमन के लिए योजना के अंतर्गत एमओईएफएण्डसीसी पूर्वोत्तर राज्यों तथा पीसीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य सरकारों से अपने बोर्डों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त निधियाँ मुहैया करने की आवश्यकता थी। इस विषय पर विभिन्न बैठकों और अध्यक्ष तथा सचिवों के वार्षिक सम्मेलनों में चर्चा की गई थी और नवम्बर 2016 में प्रस्तावित सम्मेलन में इसे दोबारा उठाया जाएगा।

8.7 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी की वित्तीय स्थिति

एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने कार्य संतोषजनक रूप से कर सकें। हमनें देखा कि एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी के पास पर्याप्त नकदी शेष था (सावधि जमाओं तथा बैंक शेष सहित) जैसा नीचे उल्लेख किया गया है।

क. 11 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी (आंध्र प्रदेश दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्तराखण्ड़ तथा पश्चिम बंगाल) के पास ₹ 100 करोड से अधिक नकदी शेष था।

ख. चार एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज (असम, दंमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश) के पास ₹ 50 करोड से ₹ 100 करोड के बीच नकदी शेष था।

ग. चार एसपीसीबीज (गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र तथा मेघालय) के पास ₹ 10 करोड और ₹ 50 करोड के बीच नकदी शेष था।

घ. सात एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी (बिहार, चण्डीगढ़ झारखण्ड़, मध्यप्रदेश, मिजोरम, पुडुचेरी तथा सिक्किम) के पास ₹ 10 करोड से कम नकदी शेष था।

ङ. छः एसपीसीबी (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, ओडिशा तथा त्रिपुरा) ने अपनी वित्तीय स्थिती सम्बान्धित सूचना नही दी।

इस प्रकार एसपीसीबी के पास पर्याप्त निधियां थी परन्तु जनशक्ति तथा अवसंरचना की कमी थी और ईसी शर्तों की निगरानी के अधिदेश में अस्पष्टता ने भी इसमें योगदान किया था।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2016) कि बोर्ड, जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा प्रशिक्षित परशक्ति के कमी के कारण इसे कठिन पा रहे है। एमओईएफएण्डसीसी तथा सीपीसीबी इन राज्य बोर्डों को वित्तीय सहायता बढाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे है।

8.8 उपसंहार

एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी स्पष्ट न होने के कारण ईसी उपरांत निगरानी के कार्य नही किये गए। जिसकी वजह से एसपीसीबीज ने पीपीज द्वारा ईआईए/ईसी में प्रस्तावित विविध न्यूनीकरण के उपाय नही जांचे गए।

एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज यह सुनिश्चित करने में सक्षम नही थे कि परियोजनायें वैध सीटीई एवं सीटीओ के साथ चल रहें है कि नही। पर्याप्त धन होने के बावजूद एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज में बुनियादी ढ़ाचे और मानव शाक्ति की कमी थी।

8.9 सिफ़ारिशें

हम सिफ़ारिशें करते है कि,

i. एमओईएफ़एण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें।

(8.2 पैराग्राफ)

ii. एमओईएफ़एण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें।

(पैराग्राफ 8.3)

iii. एमओईएफ़एण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें।

(पैराग्राफ 8.4)

(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनांकः 22 दिसम्बर 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 26 दिसम्बर 2016